


04-7-22

पत्रावली पेशा वारी सी ओर से कोई
उपस्थित नहीं। वकील सतिवारी उपस्थित।
वारी एवं वकील वारी को खुले न्यायालय
में जोर-जोर से आवाजें लगाई गई
किन्तु भी न्यायालय में उपस्थित नहीं।

अतः यह काद पत्र अद्रम हाजरी व अद्रम पैसी
में इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली
काद तरीक तकमील होकर हाथिल हफ्तार से।


(अशिताफ)
उपखण्ड अधिकारी
घइसाना